भारत में गन्ने का मूल्यः एफ आर पी बनाम एस ए पी

भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सी सी ई ए) ने 25 अगस्त, 2021 को चीनी सीज़न 2021-22 (अक्तूबर-सितंबर) के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफ आर पी) को 290 रुपये प्रति क्विंटल पर मंज़ूरी दी। 2020-21 सीज़न के लिए एफ आर पी 285 रुपये प्रति क्विंटल है।

मंज़ूर एफ आर पी, चीनी मिलों द्वारा चीनी सीज़न 2021-22 (1 अक्तूबर 2021 से शुरू) में किसानों से गन्ने की खरीद के लिए लागू होगी।

एफ आर पी, 100 किलो गन्ने से 10% की मूल वसूली दर के लिए है। वसूली में प्रत्येक अतिरिक्त 0.1% वृद्धि के लिए, एफ आर पी पर 2.90 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम और वसूली में 0.1% की गिरावट के लिए 2.9 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती होगी।

किसानों के हितों की रक्षा के लिए, सी सी ई ए ने यह भी निर्णय लिया कि चीनी मिलों के मामले में कोई कटौती नहीं होगी जहां वसूली 9.5 प्रतिशत से कम है। ऐसे किसानों को आगामी चीनी सीज़न 2021-22 में गन्ने के लिए 275.50 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा, जो 2020-21 सीज़न में 270.75 रुपये प्रति क्विंटल था।

एफ आर पी का निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी ए सी पी) की सिफ़ारिशों के आधार पर, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद किया जाता है।

जहां भारत सरकार किसानों को चीनी मिलों द्वारा भुगतान किए जाने वाले एफ आर पी की घोषणा करती है, वहीं देश के कई राज्यों में गन्ना

उत्पादकों को भुगतान की जाने वाली दरों को निर्धारित करने के लिए अपना तंत्र है। इसे राज्य विवेचित मूल्य (एस ए पी) कहते हैं।

वर्तमान में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में गन्ने के लिए अपना स्वयं का एस ए पी है, जिसका भुगतान इन राज्यों में चीनी मिलों द्वारा किसानों को किया जाता है। एस ए पी, एफ आर पी से अधिक है।

अपनी 'गन्ना का मूल्य नीतिः 2021-22 चीनी मौसम' में सी ए सी पी ने सिफ़ारिश की है कि राज्यों को एस ए पी तय करना बंद कर देना चाहिए। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य एस ए पी को जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी बी टी) के माध्यम से एफ आर पी और एस ए पी के बीच के अंतर गन्ना किसानों को देना चाहिए।

5 सालों में गन्ने का एफ आर पी और एस ए पी (2016-17 से 2020-21)

साल	अखिल भारतीय एफ आर पी (रुपये/क्विंटल)	*एस ए पी (रुपये/क्विंटल)			
		उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	हरियाणा	पंजाब
2016-17	230	305	307	315	290
2017-18	255	315	316	325	300
2018-19	275	315	317	335	300
2019-20	275	315	317	340	300
2020-21	285	315	317	350	310

*एस ए पी उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब में मध्य किस्मों के लिए और उत्तर प्रदेश में सामान्य किस्मों के लिए है

- 2020-21 के पेराई सीज़न के लिए उत्तर प्रदेश में अगेती किस्मों के लिए एस ए पी 325 रुपये प्रति क्विंटल और अस्वीकृत किस्मों के लिए 310 रुपये प्रति क्विंटल है
- 2020-21 पेराई सीज़न के लिए उत्तराखंड में अगेती किस्मों के लिए एस ए पी 327 रुपये प्रति क्विंटल है
- 2020-21 के पेराई सीज़न के लिए पंजाब में अगेती किस्मों के लिए एस ए पी 310 रुपये प्रति क्विंटल और पछेती किस्मों के लिए 295 रुपये प्रति क्विंटल है
- 2021-22 के पेराई सीज़न के लिए पंजाब सरकार ने मध्य किस्मों के लिए 360 रुपये प्रति क्विंटल एस ए पी की घोषणा की है